मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 1 दिसम्बर, 2000 (अग्रहायण 10,1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री हजारीलाल रघुवंशी, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भु-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ-13-3-99-सात-8, दिनांक 16 अक्टूबर, 2000; तथा

(ख) क्रमांक एफ-2-19-95-सात-8, दिनांक 17 अक्टूबर, 2000,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री जयंत कुमार मलैया, हिम्मत कोठारी, रणवीर सिंह, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम हारट में एक युवक की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री राजनारायण सिंह, सदस्य, नर्मदा घाटी विकास विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को सेवा में वापस न लिये जाने की ओर नर्मदा घाटी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, प्रदेश में जनरेटर सेट्स की कालाबाजारी के कारण कृषकों को परेशानी होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री बाबूलाल मेवरा, सदस्य, श्योपुर जिले की विजयपुर जनपद पंचायत की उपाध्यक्ष आदिवासी महिला को प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री सोबरन सिंह बाबूजी, सदस्य, भिण्ड एवं मुरैना जिले में सिंथेटिक दूध का कारोबार होने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री अनूप मिश्रा, भूपेन्द्र सिंह, सुनील उर्फ डॉ. सुनीलम्, सदस्य, सागर जिले के देवरी क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम सेवड़ी के एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सुश्री कौशल्या गोटिया, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम पंचायत पडरी की महिला सरपंच के पति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री मुंशीलाल, सदस्य, चंबल संभाग में बाजरा का समर्थन मूल्य कृषकों को न मिलने की ओर राज्यमंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री लालसिंह, नरेन्द्र बिरथरे, रणवीर सिंह, सदस्य, भोपाल स्थित नर्सिंग होम में कार्यरत एक व्यक्ति के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री रमाकांत तिवारी, सदस्य, शहडोल जिले के धनपुरी थाना में पदस्थ एक पुलिस कर्मी की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री मगनलाल गोइल, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम बनगांय में एक महिला की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, बाबूलाल गौर, राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, सागर एवं दमोह जिले में युवतियों की खरीद-फरोख्त होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री अजय विश्नोई, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम मदना में एक युवक की हत्या के आरोपी न पकड़े जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) सर्वश्री प्रभाकर सिंह, लवकेश सिंह, केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, जबलपुर जिले के देवरी पनागर स्थित आर. पी. जी. ट्रान्समिशन फैक्ट्री से श्रमिकों को सेवा से पृथक् किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) सुश्री कुसुम सिंह, सर्वश्री लाल सिंह राणावत, मुंशीलाल, सदस्य, मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन के प्रबन्ध संचालक द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर राज्यमंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिका की प्रस्तुति

हाजी गुलाम सिप्तैन, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम पंचायत पहाड़ी से लखापतेरी पहुंच मार्ग में पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत करेंगे.

5. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय

(1) श्री तेजसिंह सेंधव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

1 घन्टा "सदन का यह मत है कि देवास में आरंभ की गई भू-जल संवर्धन मिशन के तहत रूफवाटर हारवेस्टिंग तकनीक प्रदेश के समस्त जिलों में जन सहयोग से लागू की जाय".

(2) सर्वश्री राजेन्द्र भारती (दतिया) तथा सोनेराम कुशवाह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

45 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अस्थायी रूप से व्यवसाय करने वाले सभी बेरोजगारों को स्थानीय प्रशासन/नजूल विभाग के गुमटी/भू-खण्ड/दुकानों के पट्टे प्रदान किये जायें".

(3) श्री अजय विश्नोई, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

45 मि. "सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी द्वारा 15 पैसे की दर से प्राप्त कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि से प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों, उनकी प्रयोगशाला और उनके द्वारा चलाये जा रहे अनुसंधानों को भी उचित अंश दिया जाय".

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 30 नवम्बर, 2000